



Department of Retirement Systems के ग्राहकों के लिए COVID-19 की जानकारी

संचालन की जानकारी

- व्यक्तिगत ग्राहक विज़िट्स और ऑनसाइट सेवाओं के लिए DRS बंद है। [ऑनलाइन सेवाएं](#) और [फ़ोन/ईमेल संपर्क](#) अभी भी उपलब्ध हैं (यद्यपि भारी ट्रैफ़िक के कारण हमारी कुछ ईमेल प्रतिक्रियाएं आप तक देर से पहुँच सकती हैं)। हमेशा की तरह, ग्राहक अपने ऑनलाइन खाते से रिटायरमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- जबकि DRS के ज्यादातर टीम के सदस्य अब दूसरी जगहों से काम कर रहे हैं, हम सामान्य तरीके से फ़ोन या ईमेल द्वारा ग्राहकों की पूछताछ का उत्तर दे रहे हैं (सोमवार-शुक्रवार, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, राजकीय अवकाश छोड़कर।) टेलीफ़ोन: 360.664.7000 या 800.547.6657 (TTY उपयोगकर्ता 711 डायल करें)। Email: drs.contact@drs.wa.gov।
- DRS द्वारा सामान्य शेड्यूल के मुताबिक रिटायरमेंट के आवेदनों और [लाभों के भुगतानों](#) पर कार्रवाई करना जारी है।
- DRS ने राज्य में शेड्यूल की गई व्यक्तिगत रिटायरमेंट प्लानिंग वर्कशॉप्स रद्द कर दी हैं और उनकी जगह पर उन्हीं विषयों को शामिल करते हुए लाइव ऑनलाइन वेबिनार शेड्यूल कर दिए हैं।
- DRS नौकरियों के लिए सभी इंटरव्यू और कौशल आकलन ऑनलाइन आयोजित कर रहा है।

CARES अधिनियम की जानकारी

27 मार्च, 2020 को Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) अधिनियम 2020 पर हस्ताक्षर के बाद वह कानून बन गया था। CARES अधिनियम कोरोनावायरस महामारी और संबंधित आर्थिक गिरावट के मद्देनज़र संघीय सहायता प्रदान करता है।

Department of Retirement Systems के पास CARES अधिनियम-संबंधी दो आइटम्स के बारे में जानकारी है जो DRS के कुछ ग्राहकों को प्रभावित कर सकती है:

- **कोरोनावायरस-संबंधी वितरण के लिए अनुरोध** – यदि आप एक खाता धारक हैं जो COVID-19 से संबंधित योग्यता परिस्थितियों को पूरा करता है तो CARES अधिनियम कुछ DRS-प्रबंधित रिटायरमेंट प्लान खातों से \$100,000 तक वितरण प्राप्त करने का नया अवसर शामिल करता है। 360.664.7000 या 800.547.6657 (TTY उपयोगकर्ता 711 डायल करें) DRS से संपर्क करें, या drs.contact@drs.wa.gov पर ईमेल करें।
- **आवश्यक वितरणों की छूट** – CARES अधिनियम के परिणामस्वरूप, 2020 में प्लान 3, Deferred Compensation Program (DCP) और Judicial Retirement Account (JRA) के ग्राहकों के लिए संघीय तौर पर आवश्यक न्यूनतम वितरण (RMD) में छूट दी जाएगी। DRS रिकॉर्ड कीपर (Voya Financial) Plan 3, DCP और JRA के उन ग्राहकों को विस्तृत जानकारी भेज रहा है जो RMD किश्त भुगतान प्राप्त कर रहे हैं या अन्यथा RMD के अधीन हैं। Voya Financial से सीधे 888-327-5596 पर या <https://www.drs.wa.gov/rk/> ईमेल पर संपर्क किया जा सकता है।